भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 953
दिनांक 24 जुलाई, 2026 को उत्तर के लिए

आंगनवाड़ी सेवाओं का सुदृढ़ीकरण

953. श्रीमती भारती पारधीः
श्री श्रीरंग आप्पा चंदू बारणेः
श्री विशालदादा प्रकाशबापू पाटीलः
श्री नरेश गणपत म्हस्केः
श्री रविन्द्र दत्ताराम वायकरः

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने उन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं (एडब्ल्यूडब्ल्यू) और सहायिकाओं (एडब्ल्यूएच) के मानदेय में संशोधन की प्रक्रिया शुरू की है जिनका पारिश्रमिक जिम्मेदारियों के दायरे में विस्तार के बावजूद यथावत रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) उन बाल विकास परियोजना अधिकारियों के स्वीकृत पदों की संख्या में व्याप्त कमी को दूर करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं जिनके पदों में कार्यान्वयन अवधि के बाद से अब तक कोई संशोधन नहीं किया गया है;

(ग) क्या गुणवत्तापूर्ण सेवा का सम्मान करने और उसे बनाए रखने के लिए इस सिलसिले में अनुकरणीय प्रदर्शन करने वाले राज्यों को कार्यकर्ताओं के भुगतान को बढ़ाने के लिए पर्याप्त केंद्रीय प्रोत्साहन प्राप्त होता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इस कार्यक्रम में व्यवधान को दूर करने के लिए सुगम कैडर पुनर्गठन या संविदात्मक नियुक्तियों के माध्यम से क्षेत्र-स्तरीय पर्यवेक्षी रिक्तियों को तेजी से भरने के संबंध में रूपरेखा क्या है; और

(ङ) सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण मिशन रूपरेखा के अंतर्गत कर्मिकों के वर्धित पारिश्रमिक और पर्यवेक्षण क्षमता से अग्रिम पंक्ति के परिचर्या-कार्यकर्ताओं के लिए गरिमापूर्ण आजीविका सुनिश्चित करते हुए कमजोर बच्चों हेतु पोषण संबंधी सेवा के संवितरण को किस प्रकार सुदृढ़ किया जाएगा?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (ङ): आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियां और आंगनवाड़ी सहायिकाएँ स्थानीय समुदाय से आई मानद कार्यकर्त्रियां हैं जो स्थानीय समुदाय की सहायता करने के उद्देश्य से बाल देखरेख और विकास के क्षेत्र में अपनी सेवाएँ देने के लिए स्वेच्छा से आगे आती हैं, जिसके लिए उन्हें मानदेय दिया जाता है। इस मानदेय में समय-समय पर वृद्धि की जाती है। दिनांक 1 अक्टूबर, 2018 से, भारत सरकार ने आंगनवाड़ी केंद्रों में कार्यरत आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों का मानदेय 3,000 रुपये से बढ़ाकर 4,500 रुपये प्रति माह और आंगनवाड़ी सहायिकाओं का मानदेय 1,500 रुपये से बढ़ाकर 2,250 रुपये प्रति माह कर दिया है। यह राशि केंद्र और राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के बीच निर्धारित लागत हिस्सेदारी अनुपात के अनुसार दी जाती है। इसके अतिरिक्त, राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र अपने संसाधनों से इन कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं को अतिरिक्त मौद्रिक प्रोत्साहन और टॉप-अप भी दे रहे हैं, जो राज्यवार भिन्न-भिन्न होते हैं। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दिए गए अतिरिक्त टॉप-अप का ब्यौरा **अनुलग्नक** में दिया गया है।

इसके अलावा, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को 500 रुपये प्रति माह और आंगनवाड़ी सहायिकाओं को 250 रुपये प्रति माह का कार्य निष्पादन आधारित प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है।

मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को कुशल निगरानी और सेवा प्रदायगी के लिए स्मार्टफोन उपलब्ध कराकर तकनीकी रूप से समर्थ बनाया गया है। पोषण ट्रैकर जो मोबाइल फोन एप्लिकेशन है, में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले भौतिक रजिस्टरों को डिजिटल कर दिया गया है। इससे उनके काम की गुणवत्ता में सुधार होता है और साथ ही वे आंगनवाड़ियों में चल रही सभी गतिविधियों की तत्समय (रियल टाईम) निगरानी कर पाती हैं।

आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और आंगनवाड़ी सहायिकाओं को प्रोत्साहित और प्रेरित करने के लिए निम्नलिखित विभिन्न पहलें की गई हैं:

(i) पदोन्नति : मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और आंगनवाड़ी सहायिकाओं के लिए पदोन्नति के अवसर बढ़ाए गए हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के 50% पद 5 वर्ष का अनुभव रखने वाली आंगनवाड़ी

सहायिकाओं द्वारा भरने होते हैं तथा पर्यवेक्षकों के 50% पद 5 वर्ष का अनुभव रखने वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों की पदोन्नति द्वारा भरने होते हैं, बशर्ते कि वे अन्य मानदण्डों को पूरा करती हों।

(ii) अवकाश: 20 दिन का वार्षिक अवकाश और 180 दिनों का सवैतनिक मातृत्व अवकाश तथा गर्भपात/गर्भस्राव पर एक बार 45 दिनों का सवैतनिक अवकाश।

(iii) राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों से अनुरोध किया गया है कि वे पात्र आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं को प्रोत्साहित करें कि वे प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (पीएम-एसवाईएम) पेंशन योजना के अंतर्गत स्वयं को नामांकित करवाएं। यह योजना वृद्धावस्था सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए देश में असंगठित क्षेत्रों हेतु एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है।

(iv) सामाजिक सुरक्षा बीमा योजनाएं : 18 से 50 वर्ष की आयु वर्ग की आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) के अंतर्गत 2.00 लाख रुपये का जीवन बीमा (जीवन जोखिम, किसी भी कारण से मृत्यु शामिल) और 18-59 वर्ष की आयु समूह की आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत 2.00 लाख रुपये (दुर्घटना में मृत्यु और स्थायी पूर्ण विकलांगता)/1.00 लाख रुपये (आंशिक लेकिन स्थायी विकलांगता) का दुर्घटना बीमा प्रदान किया गया है।

(v) सेवानिवृत्ति की तारीख : राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया गया है कि वे उचित मानव संसाधन नियोजन सुनिश्चित करने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और आंगनवाड़ी सहायिकाओं के संबंध में एक समान सेवानिवृत्ति की तारीख अर्थात प्रत्येक वर्ष के 30 अप्रैल को अपनाएं।

(vi) वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में की गई घोषणा के अनुपालन में सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के तहत 5 लाख रुपये का वार्षिक स्वास्थ्य देखरेख कवरेज दिया गया है।

मिशन सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 केंद्रीय प्रायोजित योजना है। नीति एवं आयोजना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, जबकि राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन इस योजना के कार्यान्वयन के लिए कर्मचारियों की भर्ती करने सहित दैनिक कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार हैं। लाभार्थियों को सेवाओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विभिन्न स्तरों पर रिक्त पदों को भरने के मामले को निरंतर बातचीत और वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उनके समक्ष उठाया जाता है।

अनुलग्नक

"आंगनवाड़ी सेवाओं का सुदृढ़ीकरण" विषय पर दिनांक 24.07.2026 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 953 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रदान किए गए अतिरिक्त टॉप-अप का ब्यौरा:

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को भुगतान किए गए अतिरिक्त टॉप-अप	आंगनवाड़ी सहायिकाओं को भुगतान किए गए अतिरिक्त टॉप-अप
1	अंडमान और निकोबार	7,500	5,750
2	आंध्र प्रदेश	7,000	4,750
3	अरुणाचल प्रदेश	3,000	3,000
4	असम	3,500	1,750
5	बिहार	4,500	2,250
6	चंडीगढ़	3,600	1,800
7	छत्तीसगढ़	5,500	2,750
8	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	3,500	1,750
9	दिल्ली	6,720	3,360
10	गोवा	15,000 - 23,000	8,500 - 11,500
11	गुजरात	5,500	3,250
12	हरियाणा	10,250	5,650
13	हिमाचल प्रदेश	6,000	3,550
14	जम्मू एवं कश्मीर	600	300
15	झारखंड	7,000	3,500
16	कर्नाटक	8,000	5,250
17	केरल	8,300	6,800
18	लद्दाख	1,300	650
19	लक्षद्वीप	5,500	4,750
20	मध्य प्रदेश	8,500	4,250
21	महाराष्ट्र	8,500	5,250
22	मणिपुर	1,000	600
23	मेघालय	3,000	1,000
24	मिजोरम	950	725
25	नागालैंड	NIL	NIL

26	ओडिशा	5,500	2,750
27	पुद्दुचेरी	1,950	2,125
28	पंजाब	5,000	2,850
29	राजस्थान	6,061	4,041
30	सिक्किम	7,000	4,500
31	तमिलनाडु	9,780	6,270
32	तेलंगाना	9,150	5,550
33	त्रिपुरा	5,946-3,500	4,218-2,750
34	उत्तर प्रदेश	1,500	750
35	उत्तराखंड	4,800	3,000
36	पश्चिम बंगाल	4,500	4,550
